संख्या-43/2023/001-942-24-1-2023-18 पी-2020

प्रेषक

प्रभंजन यादव,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन |

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊः 29 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की विभिन्न मदों में बचत की धनराशि का पुनर्विनियोग वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण मद में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1885/अधि0नि0 (वित्त)/निधि-II/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 03 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या-1790/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2022-23/426, दिनांक 15 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-8908-30 में हो रही बचत धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र), लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1430-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 2,68,00,000/- (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख मात्र), लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1431-30 में हो रही बचत धनराशि रुपये 15,85,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड पच्चासी लाख मात्र), लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1411-30 में हो रही बचत धनराशि रुपये 17,24,45,000/- (रुपये सत्रह करोड़ चौबीस लाख पैंतालिस हजार मात्र), लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1426-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 49,97,000/- (रुपये उनचास लाख सत्तानवे हजार मात्र) एवं लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1419-30 में हो रही बचत धनराशि रुपये 150,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 636,27,42,000/- (रुपये छः सौ छत्तीस करोड़ सत्ताईस लाख बयालिस हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक-4801-05-190-08-30 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते । प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृति कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7)- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय- समय पर व्यय की गयी धनराशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या - 42जी / शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 636,27,42,000/- (रुपये छः सौ छत्तीस करोड़ सत्ताईस लाख बयालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900800 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन

लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ ऋण के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-198-X-2022-23- दिनांक 29 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

सादर,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव ।

संख्या-43/2023/001-942(1)-24-1-2023-18 P-2020, तद्दिनांक/

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज - 11001
5- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6-सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय - नियन्त्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग-1/गाई बुक।

आज्ञा से,

प्रभजन यादव
अनु सचिव